2-9-17

वकीलान फरीकैन उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस समाप्त की गई। वकील वादी ने दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने कागजात कथन स्वीकार करते हुए दावा अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

स्थगन पत्रावली का ध्यानपूर्वक
अवलोकन किया। [illegible] का
सुना [illegible] का [illegible] एवं प्रतिवादी
सं. 15 ता 20 का [illegible]
स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार
किया जाकर [illegible]
[illegible] गया एवं [illegible]
शामिल [illegible] किया गया। पत्रावली
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2019.12.03 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: